संख्या– 645 /XXVII(1)/2008

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, उत्तराखण्ड,
(संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक: 12 सितम्बर,2008

विषयः– **द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु नगर पंचायतों को धनराशि का संक्रमण (तृतीय त्रैमास किश्त हेतु)।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की 27 नगर पंचायतों को सलग्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की तृतीय त्रैमासिक किश्त हेतु रू0 36365000.00 **(रू0 तीन करोड़ तिरसठ लाख पैसठ हजार मात्र)** की धनराशि संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है– (1) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–1674/XXVII/(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ठ शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन– आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–193–नगरपंचायतें/नोटीफाइड एरिया/कमेटी आदि–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक:–यथोपरि।

भवदीय,

12/9/2008

(एल0एम0 पन्त)
सचिव

संख्याः– 645 (1)/XXVII(1)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकरी/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
10–एन0 आई0सी0, सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

12/9/2008

(एल0एम0 पन्त)
सचिव

शासनादेश संख्याः 645 / XXVII (i) / 2008,
दिनांकः 12 :सितम्बर,2008 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु नगर पंचायतों को तृतीय त्रैमास के लिए संकमित धनराशि।

(धनराशि हजार रूपयें में)

क0 सं0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	तृतीय किश्त हेतु देय संकमण
1	2	3
1–नगर पंचायत		
1-	4डकोट	3125
2-	नन्दप्रयाग	468
3-	कर्णप्रयाग	2893
4-	गोचर	2447
5-	मुनिकीरेती	1583
6-	कीर्तिनगर	468
7-	चम्बा	1024
8-	डोईवाला	904
9-	हरबर्टपुर	2161
10-	कालाढूंगी	625
11-	भीमताल	911
12-	लालकुँआ	1183
13-	दिनेशपुर	1849
14-	सुल्तानपुर	798
15-	केलाखेड़ा	1297
16-	शक्तिगढ	964
17-	मुहुआ खेड़ा गज	738
18-	महुआडाबरा	937
19-	डारहाट	1549
20-	डीडीहाट	891
21-	धारचूला	2554
22-	चम्पावत	937
23-	लोहाघाट	1057
24-	झबरेड़ा	732
25-	लण्डोरा	1251
26-	लक्सार	2188
27-	देवप्रयाग	831
	योग	36365

(रू0 तीन करोड़ तिरसठ लाख पैसठ हजार मात्र)

12/9/2008

(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त।